

क्रेडिट कार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

1. क्रेडिट कार्ड बिलों की पेमेन्ट : क्रेडिट कार्ड बिलों की पेमेन्ट या तो चेक, ड्राफ्ट या एससीबी एटीएम या शाखाओं पर कैश पेमेन्ट या ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) निर्देश के माध्यम से किया जा सकता है। आप कृपया अपने चेकों और ड्राफ्टों को एससीबी अकाउंट नंबर XXXX XXXX XXXX XXXX (आपका 16 अंकों का एससीबी कार्ड नंबर) के नाम देय (पेएबल) बनाएँ। कृपया इस बात की पुष्टि करें कि चेक/ड्राफ्ट हर तरह से पूरे भरे हुए हैं और उनमें किए गए किसी भी फेरबदल पर पूरी तरह हस्ताक्षर किए हुए हैं। हम आपको आपके पेमेन्ट ड्यू डेट के कम से कम 3 दिन पहले आपका पेमेन्ट चेक्स कलेक्शन बॉक्स में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन, चेकों पर पेमेन्ट की असली अंतिम तिथि के अनुसार दिनांक डाली जा सकती है। यह आपके कार्ड अकाउंट में रकमों का क्रेडिट समय पर होने की सुविधा देने के लिए है। यदि बैंक को भुगतान की अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं मिलता, तो बैंक के पास लेट पेमेन्ट चार्ज वसूलने का अधिकार सुरक्षित है। ओवरड्यु अकाउंट्स के लिए, चेक क्लियर होने के बाद ही, पेमेन्ट क्रेडिट की जाएगी। 20,000 रु. से ज्यादा की पेमेन्ट के लिए, लिमिट सिर्फ चेक क्लियर होने के बाद ही जारी की जाएगी। कैश को सामान्य बैंकिंग कार्यावधि के दौरान केवल बैंक की शाखाओं में जमा कराया जा सकता है। कृपया चेक्स कलेक्शन बॉक्स में कैश न डालें।
2. ब्याज लगाना : (कृपया याद रखें कि मासिक पेमेन्टों को पहले पुराने कर्जों को पूरा करने की ओर लागू किया जाएगा)

विकल्प	ब्याज किस तरह लगाया जाएगा	
1. यदि पेमेन्ट ड्यू डेट से पहले हर महीने टोटल आउटस्टैंडिंग (कुल बकाया राशि) की फुल पेमेन्ट कर दी जाती है	कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा*	
2. यदि पेमेन्ट ड्यू डेट से पहले हर महीने टोटल आउटस्टैंडिंग (कुल बकाया राशि) की पार्शियल (आंशिक) पेमेन्ट कर दी जाती है	ट्रैन्सैक्शन डेट से लेकर स्टेटमेन्ट डेट तक की मौजूदा स्टेटमेन्ट में सभी ट्रैन्सैक्शन पर ब्याज लगाया जाएगा. ----- पिछली स्टेटमेन्ट का क्लोजिंग बैलेंस (अंतिम शेष), मौजूदा स्टेटमेन्ट में स्टेटमेन्ट डेट के एक दिन बाद से लेकर पेमेन्ट डेट के एक दिन पहले तक ब्याज आकर्षित करेगा। पेमेन्ट के बाद बैलेंस पेमेन्ट डेट से लेकर स्टेटमेन्ट डेट तक ब्याज आकर्षित करेगा।	पिछली स्टेटमेन्ट डेट : 1 अगस्त, स्टेटमेन्ट बैलेंस : रु.10.000/- पेमेन्ट ड्यू डेट : 18 अगस्त 15 अगस्त को की गई ट्रैन्सैक्शन : रु.3,000/- पेमेन्ट : 18 अगस्त को रु.8,000/- मिले मौजूदा स्टेटमेन्ट डेट: 1 सितंबर, इस मामले में, 2 अगस्त से 17 अगस्त तक रु.10,000 पर ब्याज लगाया जाएगा और रु.2,000/- की बकाया राशि 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ब्याज आकर्षित करेगी। 15 अगस्त से 1 सितंबर तक रु.3,000/- पर भी ब्याज लगाया जाएगा।
3. यदि आप आम तौर पर पार्शियल (आंशिक) पेमेन्ट करते हैं और मौजूदा महीने में आपने पेमेन्ट ड्यू डेट से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग की फुल पेमेन्ट कर दी है	पेमेन्ट डेट तक पिछली स्टेटमेन्ट के अनुसार क्लोजिंग बैलेंस पर ब्याज लगेगा।	पिछली स्टेटमेन्ट डेट : 1 अगस्त, क्लोजिंग बैलेंस : रु.10.000/- मौजूदा स्टेटमेन्ट डेट : 1 सितंबर पेमेन्ट ड्यू डेट: 18 अगस्त पेमेन्ट : 15 अगस्त को रु.10,000/- रु.10,000/-2 अगस्त से 14 अगस्त तक के लिए ब्याज आकर्षित करेंगे (31 दिनों वाले अगस्त में 13 दिनों के लिए) ^

* कैश ट्रैन्सैक्शन शामिल नहीं है

^ इस केस में डेबिट किया गया ब्याज होगा = 10,000 3.1% 13/31 = ₹.13,000/-

3. एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट (वार्षिक प्रतिशत दर) : मासिक ब्याज दर (मंथली इंटरस्ट रेट) को एपीआर तक पहुँचने के लिए वार्षिक किया जाता है. कैश और रिटेल ट्रैन्सैक्शन पर लागू 3.1% प्रति महीने की मासिक ब्याज दर को एपीआर तक पहुँचने के लिए वार्षिक करके 37.20% कर दिया जाता है. यह ब्याज दर परिवर्तनीय है और रिटेल एवं नकद ट्रैन्सैक्शन के लिए 2.49% प्रति महीने (एपीआर 29.88%) और 3.40% प्रति महीने (एपीआर 40.80%) के बीच बदलती रहती है. जैसे ही आप पर लागू ब्याज दर संशोधित किया जाता है, आपको इसके बारे में आपकी स्टेटमेंट में आपको सूचित किया जाता है. आपके कार्ड के उपयोग और री-पेमेंट के आधार पर बैंक के एकल निर्णय से एपीआर हर 3 महीनों में निश्चित किया जाएगा और उसकी समीक्षा की जाएगी. यदि पूरा पेमेंट नहीं किया जाता, और यदि ज्यु डेट तक मिनिमम अमाउंट ज्यु (एमएडी) चुकाया जाता है, तब भी ब्याज टोटल अमाउंट ज्यु (टीएडी) पर लगाया जाएगा. ईएमआई कार्ड पर, 24% के एपीआर तक पहुँचने के लिए 2% के मासिक ब्याज दर को वार्षिक किया जाता है.

4. मिनिमम अमाउंट ज्यु (एमएडी) : हर महीने बिल की गई वैल्यू का 5% मिनिमम अमाउंट ज्यु (एमएडी) है, बशर्ते भुगतान पर डिफॉल्ट हो. यदि डिफॉल्ट होगा, तो पूरी बकाया राशि का भुगतान करना होगा. ईएमआई कार्ड के मामले में, या कार्ड अकाउंट पर लोन लिया होने पर, लोन की ईएमआई भी उपरोक्त में जोड़ दी जाएगी. साथ ही, यदि कार्ड का ओवरलिमिट उपयोग किया गया है, तो मिनिमम अमाउंट ज्यु (एमएडी) ऊपर बताई गई राशि तथा ओवरलिमिट वाली राशि का जोड़ होगा. यदि आपने ₹.5,000/- खर्च किए हैं और हर महीने ठीक एमएडी (न्यूनतम 100 रु.के भुगतान के अधीन) का भुगतान करते हैं, तो आपको पूरी राशि का भुगतान करने में 6 साल तक लग सकते हैं. इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जैसे ही आपका कैशफ्लो आपको अनुमति दे, आप मिनिमम अमाउंट ज्यु से ज्यादा का भुगतान करें.

क्रेडिट कार्ड छोटी अवधि की क्रेडिट आवश्यकताओं/हर दिन के खर्च वाले वर्गों के लिए क्रेडिट का तरीका है. यदि आपको लंबे समय तक पूँजी की आवश्यकता है, तो हमारे पास उसके लिए बहुत से प्रॉडक्ट हैं. ज्यादा जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.

5. अधिकतम ब्याज-मुक्त अवधि : सभी गोल्ड और नॉन-गोल्ड कार्डों के लिए एससीबी कार्ड पर पेमेंट ज्यु डेट स्टेटमेंट डेट से 18 दिन (18 वाँ दिन रविवार होने पर 17 दिन) है. इस तरह से ब्यज-मुक्त क्रेडिट अवधि 17-47 दिनों के बीच होती है. लेकिन, कैश एडवांस के लिए, ट्रैन्सैक्शन वाली तिथि से ही ब्याज लगाया जाता है. पूर्व सूचना देकर इस ब्याज मुक्त अवधि को बदलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.

6. बिलिंग मतभेद निवारण : बिलिंग में कोई मतभेद होने पर, उसको स्टेटमेंट मिलने वाली डेट के 21 दिनों के अंदर बैंक के ध्यान में लाना चाहिए. आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई है तो, उसके साथ डिस्प्युट डिक्लरेशन फॉर्म (डीडीएफ) या ग्राहक की ओर से हस्ताक्षरित पत्र अनिवार्य है. निवारण की प्रक्रिया हर मामले के आधार पर अलग अलग है. मतभेद बताने के लिए आवश्यक दस्तावेज और उसके बाद वाली प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए कृपया बैंक कार्ड के हेल्पलाइन सेंटर पर संपर्क करें या बैंक की वेबसाइट www.standardchartered.co.in पर जाएँ.

7. एड ऑन कार्ड्स : एक अकाउंट पर एक से ज्यादा कार्ड जारी किए जाने पर, अकाउंट के किसी भी अतिरिक्त कार्ड का होल्डर और इसे जारी करने को अधिकृत करने वाला व्यक्तिगत अकाउंट होल्डर संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से इन नियमों और कानूनों द्वारा बाध्य हैं और कार्ड/कार्डों के उपयोग द्वारा किए गए सभी शुल्कों के लिए संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से जिम्मेदार हैं.

8. गुम या चोरी हुए कार्ड के बारे में तुरंत सूचित करना : यदि कार्ड भारत के अंदर ही गुम या चोरी हुआ है, तो कार्डहोल्डर को नजदीकी कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन में तुरंत सूचित करना चाहिए. यदि विदेश की यात्रा के दौरान कार्ड गुम होता है, तो कार्डहोल्डर को या तो बैंक की हेल्पलाइन या मास्टर कार्ड/वीजा हेल्पलाइन पर सूचित करना चाहिए. पूरे विवरण के लिए कृपया कार्डमैम्बर रूल्स एंड रेग्युलेशन्स पढ़ें.

9. गुम हुए कार्ड की देयता (लायबिलिटी) : भारत में बैंक के कार्ड सर्विस सेंटर या वीजा/मास्टर कार्ड ग्लोबल एमरजेंसी असिस्टेंस हेल्पलाइन पर गुम होने की सूचना दिए जाने तक लगाए गए सभी शुल्कों के लिए कार्डमेम्बर जिम्मेदार होगा. यदि कार्डमेम्बर कार्ड के गुम, चोरी या खराब होने की घोषणा करता है और बाद में कार्ड मिल जाता है, तो बैंक की सूचना के तहत कार्ड को नष्ट करके अमान्य बनाने के लिए सिर्फ कार्डमेम्बर ही जिम्मेदार होगा.

10. स्टेटमेन्ट जारी करना : रु.100/- से ज्यादा के बैलेंस वाले अकाउंटों के लिए हर महीने एक बार स्टेटमेन्ट जारी की जाएगी. रु.100/- से कम के बैलेंस वाले अकाउंटों के लिए, जब अकाउंट में नई ट्रैन्सैक्शन दिखाई देगी तब स्टेटमेन्ट जारी की जाएगी. साथ ही, यदि कार्डमेम्बर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस के आईएनआर 250 से बढ़ने पर ही स्टेटमेन्ट जारी की जाएगी.

11. कार्ड के नियमों और कानूनों में संशोधन : कार्ड के नियमों और कानूनों के नियम 18 (बी) में किया गया संशोधन इस प्रकार है : ' 18 (बी): यदि स्टेटमेन्ट की पिछली ओर छापकर या निजी कुरियर या साधारण डाक द्वारा भेजकर और कार्डमेम्बर द्वारा बैंक में रजिस्टर किए गए उसके भारत वाले अंतिम परे पर भेजे गए कार्ड बिलिंग स्टेटमेन्ट सहित कार्डमेम्बर को बैंक द्वारा भेजे गए सभी दस्तावेजों/पत्र व्यवहारों को संतोषजनक रूप से पहुँचा दिया गया समझा जाएगा और स्टेटमेन्ट या नोटिस को पोस्ट करने या उन्हें कुरियर एजेन्सी को सौंपने के बाद 4 दिन समाप्त होने पर बैंक इस तरह की सेवाओं को लागू होना समझ लेगा. यदि कार्डमेम्बर भारत से बाहर का पता रजिस्टर कराता है, तो कार्डमेम्बर इस बात की सहमति देता है कि बैंक पर कार्ड स्टेटमेन्ट भेजने की कोई बाध्यता नहीं है और अपने कार्ड पर बकाया राशि के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त करने और संबंधित ड्यु डेट से पहले पेमेन्ट करने की जिम्मेदारी कार्डमेम्बर की होगी.' स्टेटमेन्ट ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी (यदि कार्डमेम्बर ने ई-स्टेटमेन्ट्स के लिए रजिस्टर कराया है तो)

12. रद्द करना : अकाउंटहोल्डर बैंक के कार्ड सर्विस सेंटरों या बैंक को, या तो फोन या लिखित माध्यम से सूचित करके अपने कार्ड अकाउंट को किसी भी समय रद्द कर सकता है. कार्डमेम्बर द्वारा उसके कार्ड पर बकाया सभी शुल्कों की पेमेन्ट के बाद कार्ड को नष्ट करने पर और बैंक के कार्ड सर्विस सेंटरों या बैंक की सूचना के तहत इस तरह का नोटिस प्रभावी होगा.

13. क्रेडिट लिमिट : क्रेडिट लिमिट बैंक के स्वनिर्णय (डिस्क्रीशन) से सेट की जाएगी. उपलब्ध क्रेडिट लिमिट की गणना टोटल क्रेडिट लिमिट में से उपयोग की गई लिमिट को घटाकर की जाती है. यदि कार्डहोल्डर ने कार्ड की क्रेडिट लिमिट के अंदर कोई लोन लिया हुआ है, तो उपलब्ध क्रेडिट लिमिट तक पहुँचने के लिए टोटल क्रेडिट लिमिट में से लोन की बकाया राशि को भी घटाया जाएगा. कुछ खास शर्तों के आधार पर अपने एकल फैसले पर आपकी क्रेडिट लिमिट को कम करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है. इनमेंसे कुछ हैं : कैश उपयोग करना, कार्ड सेट-अप होने के 90 दिनों के अंदर ज्वेलरी खरीदना, रीपेमेन्ट का अनियमित तरीका और लिमिट से बहुत ज्यादा उपयोग करना. जब भी और जिस तरह भी लागू होगा, क्रेडिट लिमिट में कमी किए जाने पर बैंक सूचित करेगा.

14. कैश एडवांस लिमिट : कैश एडवांस लिमिट क्रेडिट लिमिट की निश्चित प्रतिशत नहीं है, लेकिन यह हर महीने मूल्यांकित और रीसेट की जाती है. इसके बारे में अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया कार्ड सर्विस हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.

15. जानकारी बाँटना : कार्डहोल्डर एग्रीमेंट के नियमों और कानूनों के अनुसार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत या विदेशों में स्थित अपनी ग्रुप कंपनियों या वेंडरों के साथ कार्डमेम्बर के अकाउंट के बारे में सारी जानकारी बाँटने के लिए अधिकृत है. कार्डमेम्बरों, ली गई क्रेडिट सुविधाओं / ली जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं, उससे संबंधित अपेक्षित बंधन/कार्डहोल्डर द्वारा अपेक्षित बंधन, इस तरह के बंधनों के पालन में कार्डहोल्डर द्वारा किया गया कोई डिफॉल्ट, यदि कोई है तो, इन सबके बारे में बैंक आपके विवरणों को क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) या बैंक के एकल निर्णय से उसे यदि किसी अन्य एजेंसी को बताना आवश्यक लगे, तो उन्हें जानकारी देने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है. इसके अलावा, क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों (रेग्युलेशन) एक्ट 2005 के अनुसार, कानून के तहत आने वाले किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी जानकारी के लिए कोई निवेदन और माँग किए जाने पर बैंक, कार्डमेम्बर को बताए बिना, उसका पालन करने के लिए भी

अधिकृत है. सेवाएँ/खास सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य के लिए और प्रदान करने के दौरान, बैंक को विशेष सर्विस और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स/एजेंटों को नियुक्त कर सकता है/करने की आवश्यकता पड़ सकती है. इसके द्वारा इसे सहमति और एग्रीमेन्ट की तरह लिया जाता है कि बैंक को आपके अकाउंट से संबंधित कोई भी जानकारी इन सर्विस प्रोवाइडर्स/एजेंटों को देनी पड़ेगी/देने की जरूरत पड़ सकती है.

16. डिफॉल्ट और परिस्थितियों पर जानकारी

र) मिनिमम अमाउंट ड्यु की 150 दिनों तक पेमेन्ट न किए जाने पर कार्डहोल्डर को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा. कृपया ध्यान रखें कि क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) के साथ मासिक आधार पर जानकारी बाँटी जाती है, इसलिए एक महीने भी पेमेन्ट न किए जाने पर वह सीआईबीआईएल के साथ बाँटे जाने वाले डाटा में दिखाया जाएगा. कार्डहोल्डर का डिफॉल्ट डाटा 150 दिनों तक मिनिमम अमाउंट ड्यु की पेमेन्ट न किए जाने पर सत्यम द्वारा बनाए जाने वाले डिफॉल्टर डेटाबेस के साथ भी बाँटा जाएगा.

ल) बकाया राशियों का निपटारा होने के बाद डिफॉल्टर क्लासीफिकेशन से नाम हटाना : टोटल आउटस्टैंडिंग के पेमेन्ट के अधीन और निवेदन पर, बैंक एक महीने के अंदर डिफॉल्टर लिस्ट/डेटाबेस से नाम हटा देगा. लेकिन सीआईबीआईएल के साथ बाँटे जाने वाले डाटा कस्टमर क्रेडिट/पेमेन्ट हिस्ट्री दर्शाएगा और बैंक द्वारा नहीं हटाया जा सकता.

ल) डिफॉल्ट के मामले में रिकवरी प्रक्रिया : पत्रों, टेलीकॉलिंग, ईमेल और व्यवहार के अन्य किसी माध्यम और यदि आवश्यक हुआ तो व्यक्तिगत मीटिंग द्वारा लगातार रिमाइंडर भेजना.

व) कार्डहोल्डर की मृत्यु/स्थायी असमर्थता के मामले में बकाया राशि की रिकवरी : कार्डहोल्डर की मृत्यु की पुष्टि होने पर, अकाउंट को बुक्स में से हटा दिया जाता है और बकाया राशि को बैड डेब्ट (अशोक्य ऋण) की तरह लिखा जाता है. यदि मृतक कार्डहोल्डर का इस्टेट इच्छुक हो, तो बकाया राशि के निपटारे के लिए बैंक उनके साथ आपस में बातचीत करते हैं. कार्डहोल्डर की स्थायी असमर्थता के मामले में, स्टैंडर्ड कार्डहोल्डर नियम और कानून लागू होते हैं.

17. शिकायत की वृद्धि : यदि आप मिलने वाली प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया सीडीके साई नरेन, हेड सर्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कस्टमर केअर युनिट, 19, राजाजी सलाई, चेन्नई 600 001 को लिखें या +91 99002 60046 पर फोन करें या head.service@in.standardchartered.com पर ईमेल करें.

18. बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक की नो यूअर कस्टमर (केवायसी) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय जरूरत पड़ने वाले इस तरह के दस्तावेजों को प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ. सुविधा समाप्त करने, प्रतिभूति और जमानतें लागू करने, यदि कोई हो तो और आपसे बकाया और बाकी राशि रेकवर करने की ओर उचित कदम उठाने, यदि कोई है और आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेज बैंक को प्रदान नहीं जाने पर आपके अकाउंट को बंद करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है.

19. इसमें कुछ भी लिखे होने के बावजूद, यह सुविधा बैंक के एकल निर्णय पर उपलब्ध है और इसीलिए, बैंक द्वारा किसी भी समय जल्दी माँग करने पर देय और/या रद्द किए जाने के अधीन है, जिस मामले में कस्टमर बैंक को तुरंत वापस करेगा.

20. इन 10 प्रादेशिक भाषाओं में से किसी में भी कार्डमैम्बर नियम और कानून पढ़ने के लिए http://www.standardchartered.com/in/cb/creditcard/card_main.html पर भेंट करें.

जून 2006 से प्रभावी प्रभार :

लेट फी प्रभार : यदि लगातार दो या दो से ज्यादा महीनों तक मिनिमम अमाउंट ड्यु नहीं मिला तो लेट चार्ज पर रु. 100/- की लेट फी डेबिट की जाएगी.

अधिभार : रेल्वे ट्रेन्सैक्शनों पर रु. 25/- या ट्रेन्सैक्शन का 2.5% (जो भी ज्यादा हो). पेट्रोल ट्रेन्सैक्शनों पर रु. 10/- या ट्रेन्सैक्शन का 2.5% (जो भी ज्यादा हो).

ओवरलिमिट प्रभार : ओवरलिमिट प्रभार हर बार रु.500/- होंगे.

डुप्लीकेट स्टेटमेन्ट शुल्क : रु.25/- प्रति स्टेटमेन्ट (यदि वह 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो तो).

कार्ड रीप्लेसमेन्ट शुल्क : हर रीप्लेसमेन्ट पर रु. 100/-.

पिन रीप्लेसमेन्ट : हर रीप्लेसमेन्ट पर रु. 100/-.

आउटस्टेशन टेलीड्राफ्ट प्रभार : हर बार रु. 100/-.

टेलीड्राफ्ट रद्द करने का प्रभार : हर बार रु.50/-.

चेक वापस लौटने पर प्रभार : हर बार रु.300/-

विदेशी मुद्रा ट्रेन्सैक्शन: गैर-भारतीय रुपयों वाली सभी ट्रेन्सैक्शनों को फ्रेंचाइजी (वीजा/मास्टर) द्वारा सुझाई गई दर पर भारतीय रुपए में बदला जाएगा. इन ट्रेन्सैक्शनों पर बैंक अतिरिक्त 2.5% प्रभार लगाता है और फ्रेंचाइजी द्वारा रीइम्बर्समेन्ट (अदायगी) के लिए अतिरिक्त 1% प्रभार लगाया जाता है.

शाखा ट्रेन्सैक्शन शुल्क : टेलर सुविधा के उपयोग से एससीबी शाखाओं पर कैश में की गई पेमेन्ट के लिए हर बार रु.99/- का शुल्क लिया जाएगा.

सर्विस टैक्स : सर्विस प्रभारों पर 12.36% सर्विस टैक्स है. "क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य पेमेन्ट कार्ड सर्विसेस" के तहत सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एसटी/मुम्बई/सीडीसीओएस/डीएन I/13/2006 है. रजिस्टर्ड कार्यालय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 23-25, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुम्बई 400 001 है. हटाए गए या वापस लिए गए प्रभारों के संबंध में सीईएनवीएटी क्रेडिट नियमों 2004 के तहत कस्टमर सर्विस टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता.

18 जून 2007 से प्रभावी प्रभार :

लेट पेमेन्ट प्रभार : रु. 10,000 से कम बकाया स्टेटमेन्ट के लिए रु.350

रु. 10,000 से रु.20,000 के बीच बकाया स्टेटमेन्ट के लिए रु.500

रु.20,000 से ज्यादा बकाया स्टेटमेन्ट के लिए रु.600

उदाहरण : मान लीजिए, आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में रु.7,000 और आपके बैलेंस ट्रांसफर अकाउंट में रु.15,000 बकाया हैं, और पेमेन्ट ड्यु डेट तक पेमेन्ट नहीं की गई है. आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट पर रु.350 और आपके बैलेंस ट्रांसफर अकाउंट पर रु.500 का लेट पेमेन्ट प्रभार लगाया जाएगा. ऊपर दिया गया उदाहरण सिर्फ उदाहरण के लिए ही है. यदि पेमेन्ट ड्यु डेट तक पेमेन्ट नहीं की गई तो सभी काइर्स और इंस्टाबाय, बैलेंस ट्रांसफर, डायल-अ-लोन इत्यादि जैसे इनस्टॉलमेन्ट प्रॉडक्ट्स लेट पेमेन्ट प्रभारों को आकर्षित करेंगे.

कैश एडवांस शुल्क : एटीएम से निकासी : कम से कम रु.300 के तहत कैश निकासी की रकम का 3%

हमारी शाखाओं की टेलर सुविधा का उपयोग करके निकाली गई रकम पर, रु.500 का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

15 सितंबर 2007 से प्रभावी शुल्क :

उपयोग न करने का शुल्क : यदि पिछले 12 महीनों से कार्ड को रिटेल या कैश ट्रैन्सैक्शन के लिए उपयोग नहीं किया गया है, तो रु.250/- का शुल्क लिया जाएगा.

टिप्पणी : कृपया इस बात की पुष्टि करें कि चेक/ड्राफ्ट हर तरह से पूरे भरे हुए हैं और उनमें किए गए किसी भी फेरबदल पर पूरी तरह हस्ताक्षर किए हुए हैं. हम आपको आपके पेमेन्ट ड्यु डेट के कम से कम 3 दिन पहले आपका पेमेन्ट चेक्स कलेक्शन बॉक्स में डालने की सलाह देते हैं. लेकिन, चेकों पर पेमेन्ट की असली अंतिम तिथि के अनुसार दिनांक डाली जा सकती है. कैश को सामान्य बैंकिंग कार्यावधि के दौरान केवल बैंक की शाखाओं में जमा कराया जा सकता है. कृपया चेक्स कलेक्शन बॉक्स में कैश न डालें.